भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1526
दिनांक 13 फरवरी, 2025

एचपीसीएल डिपो, एलाथुर, केरल में डीजल रिसाव

†1526. श्री एम. के. राघवन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल के एलाथुर स्थिति एचपीसीएल डिपो में हाल ही में हुए डीजल रिसाव पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रिसाव के कारण पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन का ब्यौरा क्या है तथा इस घटना के कारण राजस्व की अनुमानित कितनी हानि हुई;

(ग) क्या सरकार की देश भर में ऐसी घटनाओं के कारण पर्यावरणीय क्षति और निकटवर्ती जल निकायों अथवा मृदा के संदूषण को रोकने के उपायों को कार्यान्वित करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बार्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा इस घटना की कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): इलाथोर, केरल में एचपीसीएल डिपो में ओवरफिल प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी इंटर-लॉक सिस्टम से जुड़े सर्वो गॉज की खराबी के कारण दिनांक 04.12.2024 को लेवल अलार्म के परीक्षण के दौरान एक अंडरग्राउंड टैंक से हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) का मामुली ओवरफ्लो देखा गया। नोटिस हो जाने पर टैंक वाल्व को तुरन्त बन्द कर दिया गया। तथापि, इस समय तक, उत्पाद छोटी मात्रा में डिपो के बाहर रिसकर बह गया। ऑफ-साइट आपातकाल के लिए उसके बाद सभी आवश्यक कार्रवाई की गई। ओवरफ्लो को नियंत्रित करने के लिए कड़े उपाय किए गए और नॉन-स्पार्किंग और फ्लेम-प्रूफ उपकरणों का प्रयोग करके रिस कर बह

गए उत्पाद की पुनर्प्राप्ति की गई। इसके अलावा, आस-पास के जल स्रोतों में तेल के निशान न रह जाए, को सुनिश्चित करने के लिए डिपो के आस-पास के क्षेत्रों में ऑयल स्पिल डिस्परसेंट की तैनाती की गई। पर्यावरण प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, गोवा द्वारा अनुमोदित वाटर-बेस्ड बायो-डीग्रेडेबल ऑयल स्पिल डिस्परसेंट का प्रयोग किया गया जब तक कि बाय-डीग्रेडेबल सल्ज में ऑयल फिल्म पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गया। डिस्परसेंट की तैनाती के बाद आस-पास के क्षेत्रों की नियमित निरीक्षण किया गया और इसे तब समाप्त किया गया जब यह सम्पुष्ट हो गया कि तेल के कोई निशान नहीं बचे हैं। एचपीसीएल के इलाथोर डिपो ने आस-पास के क्षेत्रों से उत्पादों की सभी निशानियों पूरी तरह से बरामद कर लिया।

(ग) और (घ) तेल टर्मिनलों और डिपो को तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) मानदण्डों के अनुसार निर्माण किया जाता है और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीबीसीबी) और ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए ओवर स्पिल प्रोटेक्शन सिस्टमों सहित सम्बन्धित पत्तन प्राधिकरणों द्वारा आज्ञापित ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स से प्राप्त अनुमति के अन्तर्गत प्रचालित किए जाते हैं।

(ङ) और (च): पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अभ्यास के कोड और आपदा प्रबन्धन योजना (ईआरडीएमपी)) विनियमन 2010 के अनुसरण में एचपीसीएल के इलाथोर डिपो की घटना को छोटी घटना की श्रेणी में रखा गया था। अतः, उपर्युक्त विनियमन के अनुसरण में पीएनजीआरबी द्वारा कोई भी जाँच नहीं की गई।

****